

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,
(मानद विश्वविद्यालय)
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002

फर्म का नाम:

पता:

.....

ई-निविदा प्रपत्र

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है
उसका नाम : आयुर्वेदिक कच्ची औषधियों की आपूर्ति हेतु निविदा {Tender for Supply of Raw
Ayurvedic Drugs for PHI Project (Alcohol De-Addiction)}
2. निविदादाता का पूरा नाम :
3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. निविदा शुल्क के रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर
दिनांक द्वारा जमा करा दिये गये है ।
5. आयकर व जी एस टी चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है ।
6. धरोहर राशि रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर दिनांकके द्वारा
निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में जमा करा दी है ।
7. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते है और इससे बाध्य रहेगें ।

स्थान:

दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर
(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
(मानद विश्वविद्यालय)
भारत सरकार द्वारा संस्थापित
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड,
जयपुर-302002 (राजस्थान)
निविदा शर्तें

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन है जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाये जाने एवं उसका विकास करने के लिए विशिष्ट योग्यताधारी अध्यापकों, वैद्यों के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन, शोध कार्य करवाये जाने के साथ आयुर्वेद पद्धती से बिमारियों का ईलाज करता है। संस्थान द्वारा PHI Project के लिए निम्नलिखितानुसार **आयुर्वेदिक कच्ची औषधियाँ {Ayurvedic Raw Drugs for PHI Project (Alcoholic de-addiction)}** क्रय करने हेतु ई-निविदा जारी की जाती है जिसके लिये आमंत्रित निविदा की अनुमानित लागत, धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क उनके सम्मुख अंकितानुसार होगी। जमा धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर भरी जावेगी।

क्र.सं.	कॉन्ट्रैक्ट का नाम	निविदा अनुमानित लागत	धरोहर राशि
1	Tender for Supply of Raw Ayurvedic Drugs for PHI Project (Alcohol de-addiction)	12,95,400/-	25,908/-

1. निविदादाताओं द्वारा सी.पी.पी. पोर्टल पर निविदा निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेगी –

क्र.सं.	विवरण	तिथि एवं समय
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने की प्रारंभ तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	07.04.2022 4:00 PM बजे से
2.	Pre-Bid Meeting तिथि एवं समय	11.04.2022 2:00 PM बजे
3.	निविदा ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	28.04.2022 2:00 PM बजे तक
4.	निविदा शुल्क तथा धरोहर राशि का डी.डी. संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	28.04.2022 2:00 PM बजे तक
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	29.04.2022 2:00 PM बजे

- निविदादाता को निविदा शुल्क राशि 500/- तथा धरोहर राशि रुपये 25,908/- का बैंक ड्राफ्ट निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, आमेर रोड, जोरावरसिंह गेट जयपुर, राजस्थान-302002) के नाम प्रेषित करना अनिवार्य होगा, बैंक व एफ.डी.आर. मान्य नहीं होगी तथा बिना धरोहर राशि/अपर्याप्त धरोहर राशि के अभाव में प्रारम्भिक रूप से ही निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। निविदा शुल्क व धरोहर राशि का डी.डी. एवं **कच्ची औषधियों का सैम्पल** दिनांक 28.04.2022 को 2:00 PM बजे तक कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
- निविदा फार्म सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर भरा जावेगा।
- सप्लाई किये जाने वाली औषधियों के सीलड नमूने पृथक्-पृथक् से सीलड पैकेट/कार्टून में संस्थान में देना अनिवार्य हैं। तथा पैकेट/कार्टून पर “ **Tender for Supply of Raw Ayurvedic Drugs for PHI Project (Alcohol de-addiction)**” लिखना अनिवार्य है। प्रत्येक औषधि के नमूने पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, निविदा में अंकित औषधि सूची(संलग्न सूची परिशिष्ट अ) की क्रम संख्या अंकित करना अनिवार्य है, साथ ही हस्ताक्षर एवं फर्म की मोहर लगाना भी अनिवार्य हैं, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करें। सीलड सैम्पल दिनांक 29.04.2022 को 2:00 PM बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी एवं सफल निविदादाताओं की फाईनेन्सियल बिड बाद में खोली जावेगी, जिसकी सूचना निविदादाताओं को **CPP Portal** के माध्यम से दी जावेगी।
- निविदा की फाईनेन्सियल एवं टेक्नीकल बिड पृथक्-पृथक् होगी। फाईनेन्सियल बिड में आमंत्रित की गई निविदा की दरें होगी जो **CPP Portal** पर **Online** भरी जायेगी तथा टेक्नीकल बिड में निविदा में चाहे गये वांछित दस्तावेज होंगे जो ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे।
- निविदादाता द्वारा टेक्नीकल बिड में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जीएसटी चुकता प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, फर्म को ब्लेकलिस्ट ना होने का शपथ पत्र, फर्म का कार्य अनुभव, तथा पिछले 3 वर्षों में फर्म के टर्नओवर का प्रमाण पत्र इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

7. निविदादाता फर्म को नॉन ज्यूडिसीयल स्टाम्प पर यह प्रमाण पत्र देना होगा कि फर्म केन्द्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या इसके अधीन किसी संस्था में ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है। उक्त कथन असत्य होने पर निदेशक द्वारा निविदा फर्म को निरस्त करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित **BOQ** में अंकों में **CPP Portal** पर **Online** भरनी होगी। निविदा में दरें डेसीमल में मान्य नहीं होगी तथा अंको एवं शब्दों में लिखी दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में लिखी दरें मान्य होगी।
9. प्राप्त निविदा की पहले टेक्नीकल बिड संस्थान क्रय समिति के समक्ष दिनांक 27.04.2022 को 2:00 PM बजे खोली जावेगी। टेक्नीकल बिड में सफल निविदादाताओं की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी तथा असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
10. फाईनेन्सियल बिड में सफल निविदादाताओं द्वारा निविदा में स्वीकृत दर के मूल्य का 3 प्रतिशत सिक्क्योरिटी राशि का डी.डी. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम से जमा करवाना अनिवार्य होगा एवं रुपये 500/-के नॉनज्यूडिसियल स्टैम्प पैपर पर निविदा में निर्धारित अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
11. निविदा में स्वीकृत दर की प्रभावशीलता समाप्त होने एवं दिये गये आदेश की सप्लाई पूर्ण होने पर सिक्क्योरिटी राशि लौटाई जायेगी।
12. निविदादाता द्वारा शर्तों के अधीन आपूर्ति नहीं की जाती है, तो उसकी जमा धरोहर/सिक्क्योरिटी राशि को जब्त कर लिया जावेगा। निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की अवस्था में संस्थान को निविदादाता की धरोहर/सिक्क्योरिटी राशि जब्त करने का अधिकार होगा एवं इससे भी शर्त के उल्लंघन से हुई हानि की पूर्ति नहीं होने पर शेष हानि की पूर्ति निविदादाता की चल-अचल सम्पत्ति से की जावेगी। फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
13. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार टी.डी.एस. राशि काटी जायेगी, जिसके लिये फर्म को निविदा के साथ पेन कार्ड की कॉपी संलग्न करनी होगी।
14. सफल निविदादाताओं को औषधियाँ माप, तौल तथा क्वालिटी के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी।
15. निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये नमूनों का एवं माल की आपूर्ति के समय आवश्यकता के अनुसार औषधियों का परीक्षण भी करवाया जा सकता है। संस्थान द्वारा टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जावेगा जो सभी फर्मों को मान्य होगा।
16. न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा। किसी निविदादाता द्वारा प्रस्तुत औषध नमूना अमान्य होने पर निविदादाता द्वारा उस औषधि की **BOQ** में प्रस्तावित दर न्यूनतम होने पर भी विचार नहीं किया जावेगा। संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी। यदि किसी औषधि की न्यूनतम दर एक से अधिक फर्म की आती है तो ऐसी स्थिति में फर्मों का टर्नओवर, कार्य अनुभव, तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी उपक्रमों में सप्लाई करने का अनुभव इत्यादि देखा जाकर न्यूनतम दर तय की जावेगी। कच्ची औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूनों के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं की जायेगी।
17. औषधियाँ प्रस्तुत किये गये नमूने के अनुसार नहीं होने पर अमान्य कर दिया जावेगा जिसे आपूर्तिकर्ता द्वारा संस्थान परिसर से तत्काल स्वयं के व्यय पर हटाना होगा, न हटाये जाने की स्थिति में उसका माल जब्त कर लिया जावेगा एवं व्यापारी का इस संबंध में किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा। अमान्य माल के खोने एवं कम होने की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
18. प्रत्येक आपूर्तिकर्ता व्यापारी **औषधियों की पैकिंग जूट से बनी नई बोरियों** में ही करें, नियमानुसार प्लास्टिक बारदाने का इस्तेमाल नहीं करें तथा औषधियाँ भेजते समय प्रत्येक पैकिंग नग (बोरी) पर टैग लगाया जाकर टैग पर फर्म का नाम, औषधि का नाम, मात्रा एवं सप्लाई वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित करें।
19. आदेशित माल की सप्लाई रविवार एवं सरकारी अवकाश के अलावा अन्य कार्य दिवस में कार्यालय समय में करनी होगी।
20. क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नहीं होगा।
21. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा।
22. निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये जाने पर निविदा प्रपत्र निरस्त मानी जावेगी।
23. एक वस्तु/औषधि की **Non supply or Late supply or Less supply** पर प्रत्येक बार शास्ति लगेगी।
24. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर (मय मोहर) करने होंगे।
25. संस्थान न्यूनतम दर होने के आधार पर सामान क्रय करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं होगा। संस्थान द्वारा अनुमोदित किये गये नमूनों की दर ही मान्य होगी।
26. यदि कोई वस्तु/औषधि संस्थान की क्रय समिति द्वारा अस्वीकृत कर दी जाती है तो उसे तत्काल संस्थान परिसर से निविदादाता द्वारा हटाना होगा, न हटाने की स्थिति में माल खोने, टूटने-फूटने या अन्य किसी प्रकार की हानि होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
27. संस्थान को सामान की सप्लाई करते समय रास्ते में होने वाली टूट-फूट या हानि की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
28. आवश्यकतानुसार वस्तु की मात्रा को कम या अधिक करने का अधिकार निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। क्रय आदेश में अंकित निर्धारित अवधि में सामान सप्लाई करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् सप्लाई करने पर संस्थान माल लेने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा यदि कोई हानि होती है तो उसका भुगतान दोषी फर्म से वसूला जावेगा।
29. विलम्ब से माल सप्लाई करने पर संस्थान को माल स्वीकृत करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। विशेष परिस्थितियों में फर्म के अनुरोध पर सप्लाई की अवधि बढ़ाने का अधिकार श्रीमान निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को होगा। फर्म द्वारा

विलम्ब से सप्लाई किये गये सामान के स्वीकृत होने की स्थिति पर निम्न प्रकार लिक्विडिटी डेमेजेज का भुगतान करने के लिये फर्म बाध्य होगी :-

(अ) 15 दिवस तक विलम्ब पर कीमत का 5 प्रतिशत।

(ब) 15 दिवस से अधिक अधिकतम 1 माह तक विलम्ब पर कीमत का 10 प्रतिशत।

(स) आपूर्तिकर्ता द्वारा पेनल्टी की अवधि समाप्त होने तक माल की आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संस्थान द्वारा द्वितीय न्यूनतम दर/बाजार से माल क्रय कर लिया जावेगा एवं मूल्य का अन्तर आपूर्तिकर्ता फर्म से वसूल किया जावेगा तथा 10 प्रतिशत शास्ती पृथक से वसूली जावेगी।

30. फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि फर्म की ओर से निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन या पालन नहीं किया जाता है तो निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अमानत/सिक्यूरिटी राशि जप्त करने का अधिकार होगा।
- a. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।
- b. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्त (डिस्चार्ज) होगी।
31. चूंकि क्रय किये जाने वाले माल की मात्रा एवं लागत अनुमानित है जिसे आवश्यकतानुसार घटाया-बढ़ाया जा सकता है। अतः निविदा में अंकित राशि की सम्पूर्ण खरीद के लिये संस्थान बाध्य नहीं होगा तथा इस संबंध में निविदादाता का कोई तर्क स्वीकार नहीं होगा।
32. प्राप्त निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा।
33. संस्थान द्वारा दिये गये क्रय आदेश की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में आयुर्वेदिक औषध की आपूर्ति आवश्यक रूप से की जावे अन्यथा नियमानुसार कटौती/पैनल्टी निविदा शर्तों के अनुसार की जावेगी।
34. वस्तु /औषध मूल्य पर पृथक से मांग किए जाने वाले करों की दर स्पष्ट रूप से दरों के साथ उल्लेख की जावे।
35. सभी विवादों के निपटारें हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैंने /हमने उपरोक्त समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तों की पालना हेतु बाध्य हूँ/हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
(निविदा की समस्त शर्तों स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

रसायनशाला, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
सत्र 2022-23 के निविदा हेतु कच्ची औषधियों की सूची

परिशिष्ट-अ

1. खर्जुरादिमंथ

क्र.सं- (Sr.No)	औषधि का नाम (Drug Name)		Botanical Name	प्रयोज्य अंग (Part use)	आवश्यक मात्रा (किलो)
1.	खर्जूर	Kharjura	<i>Phoenix sylvestris</i> Roxb	Fruit	140 किलो
2.	दाड़िम	Pomegranate	<i>Punica granatum</i> Linn	Seed	140 किलो
3.	द्राक्षा	Draksha (Dry Grapes)	<i>Vitis Vinifera</i> Linn	Dry Fruit	140 किलो
4.	वृक्षाम्ल	Vrikshamla (Kokum)	<i>Garcinia Indica</i> Chois	Fruit	140 किलो
5.	अम्लीका	Amlika (Tamarind)	<i>Phyllanthus Emblica</i>	Dry Fruit	140 किलो
6.	आमलकी	Amaliki	<i>Emblica Officinalis</i> Linn	Dry Fruit	140 किलो
7.	परुषक	Parushaka (Falsa)	<i>Grewia Asiatica</i>	Dry Fruit	140 किलो

2. फलत्रिकादि वटी

क्र.सं- (Sr.No)	औषधि का नाम (Drug Name)		Botanical Name	प्रयोज्य अंग (Part use)	आवश्यक मात्रा (किलो)
1.	हरीतकी	Haritaki	<i>Terminalia Chebula</i>	Fruit	21 किलो
2.	बिभितकी	Bibhitaki	<i>Terminalia Bitorica</i>	Fruit	21 किलो
3.	आमलकी	आमलकी	<i>Emblica Officinalis</i>	Fruit	21 किलो
4.	गिलोय	Giloya	<i>Tinospora Cordifolia</i>	Stem	21 किलो
5.	कुटकी	Kutaki	<i>Picrorhiza Kurroa</i>	Root	21 किलो
6.	नीम छाल	Neem Bark	<i>Azadirachta Indica</i>	Bark	21 किलो
7.	चिरायता	Chirayata	<i>Swertia Chiraytia</i>	Whole Part	21 किलो
8.	अडूसा	Adusha	<i>Adhatoda Vesica</i>	Leaf, Flower, Root	21 किलो

3. जटामांसी तैल

क्र.सं- (Sr.No)	औषधि का नाम (Drug Name)		Botanical Name	प्रयोज्य अंग (Part use)	आवश्यक मात्रा
1.	जटामांसी	Jatamansi	<i>Nardostachys Jatamansi</i>	Root	1250 ग्राम

1. प्रस्तुत किये गये कुल नमूनों की संख्या

हस्ताक्षर निविदादाता

फर्म का नाम

पता / दूरभाष

.....

(रबड़ की मोहर लगावे)